<u>न्यायालय :– अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 02 छबड़ा, जिला बारां</u>।

सहायक निदेशक कृषि विस्तार, छबड़ा, जिला बारां

<u>बनाम</u>

मैसर्स क्षेत्रीय प्रबन्धक राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड कोटा वगै.

फौजदारी मूल प्रकरण संख्या:-**861/2022(3790/2016)**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	**विवरण**
<u>13.05.2026</u>	परिवादी कृषि–विभाग की ओर से अभियोजन अधिकारी उपस्थित। मुल्जिम **जे.पी. सिंह** तत्कालीन सहायक प्रबन्धक (उत्पादन) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय चोमू–हाउस सरदार पटेल मार्ग, जयपुर **फौत** जिसके चलते पेशी दिनांक **18.08.2023** को उसके खिलाफ विचारण की कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है। शेष मुलजिमान यानि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के तत्कालीन वितरण प्रभारी व मुख्य–प्रभारी **सरमन सिंह** एवं **के.सी. शर्मा** आज न्यायालय में अनुपस्थित हैं जिनकी ओर से उनके अधिवक्ता **श्री भगवान कृष्ण बलरिया** उपस्थित आये एवं उक्त दोनों मुल्जिमान की हाजिरी–माफी का आवेदन पेश किया जो न्यायहित में आज के लिए स्वीकार किया जाता है। पत्रावली **बहस–चार्ज** हेतु आज पेशी में नियत है। बहस–चार्ज उभय–पक्षकारान आज सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता मुल्जिमान का मुख्य–रूप से यह तर्क रहा है कि प्रकरण में परिवादी कृषि–विभाग द्वारा मुल्जिमान के खिलाफ सोयाबीन की कुछ विशिष्ट–किस्मों के अमानक बीजों के उत्पादन, वितरण व उनके विक्रय सम्बन्धी कृत्यों को बीज अधिनियम, 1966 की धारा 19 तथा बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के क्लॉज 13(1)(C) के उल्लंघन में होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय कृत्य होना बताकर हस्तगत अभियोजन संस्थित किया गया है लेकिन मुलजिम निगम यानी राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा उत्पादित व वितरित जिन विशिष्ट किस्मों के सोयाबीन बीजों के नमूनों के परीक्षण के आधार पर ऐसे बीजों को अमानक बताते हुए हस्तगत अभियोजन संस्थित हुआ है, उन बीजों का नमूना लेने व उनकी पैकिंग के लिए परिवादी कृषि–विभाग के अधिकारियों द्वारा जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है, वह नियमों के	

अनुरूप नहीं है जबकि बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के प्रावधानों के अनुसार बीजों के ऐसे नमूने लेने व उनकी पैकिंग की विधि द्वारा जो प्रक्रिया विहित की गयी है, उसका पालन किया जाना कानूनन आबद्धकारी प्रकृति का नियम है।

इसी प्रकार दौराने बहस अधिवक्ता मुलजिमान का दूसरा प्रमुख तर्क यह रहा है कि जब ऐसे मामलों में कोई नमूना अमानक पाया जाता है तो उत्पादक, वितरक, विक्रेता फर्म/कम्पनी/निगम को कृषि–विभाग द्वारा विहित समय में इसकी सूचना दी जानी आवश्यक है ताकि वे संरक्षित/रेफरी नमूनों की जांच के लिए आवेदन कर उनका पुनः परीक्षण करा सकें। हस्तगत प्रकरण में हालांकि परिवादी विभाग ने बताया है कि ऐसी सूचना दी गयी थी परन्तु क्षेत्रीय प्रबन्धक राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड कोटा के प्रभारी अधिकारी को छोड़कर शेष मुलजिमान को यानि मुलजिम निगम के उत्पादन व वितरण सम्बन्धी कार्यों का तत्समय प्रभार रखने वाले अधिकारियों को ऐसी कोई लिखित सूचना परिवादी विभाग द्वारा दी गयी हो, इस तथ्य के प्रमाणस्वरूप कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। दूसरा यह कि स्वयं परिवादी कृषि–विभाग ने अपने परिवाद–पत्र में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मुलजिमान को ऐसी सूचना देने के बाद उन्होंने अमानक पाये गये नमूनों के संरक्षित/रेफरी नमूनों की जांच की अपील/निवेदन परिवादी कृषि–विभाग से किया था परन्तु मुलजिम पक्ष के ऐसे निवेदन के बावजूद परिवादी विभाग ने प्रश्नगत बीजों के संरक्षित नमूनों का पुनः परीक्षण नहीं करवाकर मुलजिमान/मुलजिम निगम को उनके इस सारभूत अधिकार से वंचित किया है जिसके चलते कानूनन मुलजिमान पर कोई दाण्डिक–दायित्त्व अधिरोपित नहीं किया जा सकता क्योंकि बीज अधिनियम, 1966 व बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के प्रावधानों अनुसार किसी बीज/बीजों के अमानक पाये जाने पर विक्रेता, वितरक व उत्पादक फर्मों/कम्पनियों/निगम को ऐसे बीजों का पुनः परीक्षण करवाने

के अधिकार के प्रयोग का उन्हें अवसर दिया जाना भी विधि–अंतर्गत एक आबद्धकारी प्रावधान है।

अन्त में उक्त आधारों पर मुलजिमान राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड कोटा के क्षेत्रीय प्रबन्धक सरमन सिंह एवं राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड जयपुर के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक के.सी. शर्मा को अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से मुक्त कर उन्मोचित घोषित किये जाने का निवेदन किया। मुल्जिम पक्ष ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये हैं:–

1. RLW 2012(4) Raj. 3508 उनवानी सुमेर सिंह भाटी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य।
2. S.B. Criminal Misc. (Pet.) No. 3261/2015 उनवानी डॉ. के.बी. सुब्बाराव बनाम राजस्थान राज्य।
3. S.B. Criminal Misc. (Pet.) No. 554-555/2009 उनवानी गौरीशंकर व अन्य बनाम राजस्थान राज्य।
4. S.B. Criminal Misc. (Pet.) No. 4137/2023 उनवानी श्री एन. प्रभाकर राव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य।
5. Criminal Appeal No. 1092/2017 उनवानी मायको वेजिटेबल सीड्स लि. व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य।

वहीं परिवादी कृषि–विभाग की ओर से उपस्थित अभियोजन–अधिकारी ने दौराने–बहस अधिवक्ता मुल्जिमान के उक्त तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि परिवादी कृषि–विभाग द्वारा प्रश्नगत बीजों का नमूना लेने के लिए विधि द्वारा विहित प्रक्रिया का पूर्णतया पालन किया गया है। साथ ही अमानक पाये जाने पर प्रश्नगत–बीजों के संरक्षित/रेफरी नमूनों का परीक्षण करवाने का भी मुलजिम पक्ष को पूर्ण अवसर दिया गया था परन्तु स्वयं उन्होंने ऐसा पुनः परीक्षण करवाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। ऐसे में मुलजिमान स्वयं अपनी ही चूक

का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। अन्त में अभियोजन–अधिकारी ने रिकॉर्ड पर मुलजिमान के खिलाफ आरोप लगाये जाने योग्य पर्याप्त सामग्री व आधार मौजूद होने का कथन करते हुए मुलजिमान के खिलाफ अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आरोप लगा विचारण के लिए अग्रसर होने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया। परिवादी कृषि–विभाग/अभियोजन–पक्ष द्वारा प्री–चार्ज साक्ष्य में परीक्षित करवाये गये गवाहों पी.डब्ल्यु. 1 चौथमल मीणा, पी.डब्ल्यु. 2 परिवादी दयाराम वर्मा व पी.डब्ल्यु. 3 डॉ. बी.आर. राइका की साक्ष्य तथा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित करवाए गए दस्तावेजात प्रदर्श पी–1 ता पी–18 का अवलोकन किया गया। साथ ही मुल्जिम पक्ष द्वारा अपनी बहस के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक–दृष्टान्तों का भी सम्मानपूर्वक अध्ययन कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

दोनों पक्षों की बहस–चार्ज सुनने के उपरान्त मुलजिम पक्ष के इस तर्क का जहां तक सवाल है कि बीज नियंत्रण आदेश, 1983 में विहित बीज/बीजों का नमूना लेने/संग्रहण करने एवं नमूनों की पैकिंग की प्रक्रिया का परिवादी कृषि–विभाग द्वारा चूंकि पूर्ण व सही तरीके से पालन नहीं किया गया है इसलिए मुलजिमान उन्मोचित घोषित किये जाने योग्य हैं तो इस सम्बन्ध में बीजों का नमूना लेने के लिए बीज नियंत्रण आदेश, 1983 में विहित इसकी प्रक्रिया और साथ ही हस्तगत प्रकरण में परिवादी कृषि–विभाग द्वारा प्रश्नगत बीजों के नमूने लेने व उनको पैक करने हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया जो परिवादी पक्ष के गवाहों पी.डब्ल्यु. 1 चौथमल मीणा व पी.डब्ल्यु. 2 दयाराम वर्मा के बयानों व रिकॉर्ड पर उनके द्वारा प्रदर्शित करवाये गये दस्तावेजों से जाहिर होती है, दोनों को देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत बीजों के नमूने लेने एवं उन्हें पैक करने में विधि द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं

किया गया है। अभियोजन गवाह पी.डब्ल्यु. 1 चौथमल मीणा व पी.डब्ल्यु. 2 दयाराम वर्मा दोनों ही गवाहों की साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत बीजों का नमूना परिवादी विभाग ने कपड़े की थैलियों में भरकर पैक किया था जबकि नियमों के अनुसार ऐसे बीजों का नमूना/नमूने एयर–टाईट प्लास्टिक के डिब्बे/डिब्बों में पैक करने आवश्यक हैं। इसकी मुख्य वजह कपड़े की थैली में स्थानीय वातावरण व तापमान के कारण बीजों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से रोकना है। हस्तगत प्रकरण में नमूना स्वीकृत रूप से विहित रीति से पैक नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में मुलजिम पक्ष द्वारा जो न्यायिक–दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं, वे भी मुलजिम पक्ष के पक्षकथन का ही समर्थन करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक–दृष्टान्तों में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि यदि नमूना विहित रीति से न लिया गया हो और नियमानुसार उसे/उन्हें पैक नहीं किया गया हो तो ऐसे नमूने/नमूनों के परीक्षण के नतीजे के आधार पर संस्थित अभियोजन चलने योग्य नहीं है।

अब बात करें मुलजिम पक्ष की दूसरी आपत्ति की तो अधिवक्ता मुलजिमान के अनुसार परिवादी विभाग द्वारा लिये गये प्रश्नगत–बीजों के नमूनों के अमानक पाये जाने के उपरान्त मुलजिमान को ऐसे बीजों के संरक्षित/रेफरी नमूनों के पुनः परीक्षण करवाने के उनके अधिकार के प्रयोग का अवसर नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में परिवादी विभाग के साक्षियों गवाह पी.डब्ल्यु. 1 चौथमल मीणा व पी.डब्ल्यु. 2 दयाराम वर्मा की साक्ष्य का अवलोकन करें तो परिवादी विभाग का तो हालांकि यह कहना है कि विभाग द्वारा प्रश्नगत बीजों के नमूनों के अमानक पाए जाने तथा ऐसे बीजों के संरक्षित/रेफरी नमूनों की पुनः जांच करवाने के अधिकार का प्रयोग करने की सूचना मुलजिमान को विहित समयावधि के भीतर दे दी गयी थी लेकिन मुलजिमान ने स्वयं अपने इस अधिकार का नियत समयावधि में

उपयोग नहीं किया परन्तु रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–3, पी–4 व पी–5 का अवलोकन किया जाये तो केवल राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड कोटा के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक को ही ऐसी सूचना विभाग द्वारा दिया जाना प्रमाणित होता है। शेष मुलजिमान को विभाग ने विहित समय में ऐसी सूचना दी हो, इसको प्रमाणित करने वाला कोई दस्तावेज विभाग ने रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया है। इसके अलावा स्वयं परिवादी कृषि–विभाग ने अपने परिवाद–पत्र प्रदर्श पी–18 में यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड चौमू हाउस सरदार पटेल मार्ग जयपुर के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक (वितरक) ने विभाग द्वारा दिये गये नोटिस के जवाब में अमानक पाये गये बीजों के नमूनों का पुनः परीक्षण करवाने का निवेदन परिवादी विभाग से किया था परन्तु बावजूद इसके परिवादी कृषि–विभाग ने ऐसे बीजों के संरक्षित/रेफरी नमूने/नमूनों का पुनः परीक्षण नहीं करवाया जो अभियोजन पक्ष के मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली बात है क्योंकि ऐसे मामलों में यह भी आबद्धकारी प्रावधान है जिसका अभाव सम्पूर्ण अभियोजन की कार्यवाही को अवैध बना देता है। इस सम्बन्ध में मुलजिम पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक–दृष्टान्त Criminal Appeal No. 1092/2017 उनवानी मायको वेजिटेबल सीड्स लि. व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य भी मुलजिम पक्ष के पक्षकथन का ही समर्थन करता है। उक्त न्यायिक–दृष्टान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि ऐसे मामलों में मुलजिम पक्ष को उनके ऐसे अधिकार के उपयोग का अवसर नहीं मिलना अभियोजन की सम्पूर्ण कार्यवाही को खण्डित करता है। ऐसी सूरत में अभियोजन पक्ष यानि परिवादी कृषि–विभाग द्वारा विधि के इस प्रावधान की भी पूर्ण रूप से पालना नहीं की गयी है जिसके चलते उनके द्वारा संस्थित हस्तगत अभियोजन की कार्यवाही चलने योग्य नहीं है।

लिहाजा उपर्युक्त विवेचन उपरान्त न्यायालय के विनम्र मत में रिकॉर्ड

पर ऐसी कोई साक्ष्य व सामग्री मौजूद नहीं है जिसके आधार पर मुलजिमान यानि मुलजिम निगम राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के तत्कालीन उत्पादन, वितरण व अन्य प्रमुख प्राधिकारियों सरमन सिंह वगैरह के खिलाफ आरोप लगाया जा सके। अतः मुलजिमान सरमन सिंह एवं के.सी. शर्मा को बीज अधिनियम, 1966 की धारा 19 सपठित धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के आरोप से मुक्त कर उन्मोचित घोषित किया जाता है।

पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः प्रकरण फैसल–शुमार होकर पत्रावली बाद–तक़मील दाखिल–दफ्तर हो।

(अमरजीत सिंह)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 02 छबड़ा, बारां।

Signature Not Verified

Digitally signed by
Date: 2026.05.19 12:42:46 IST